



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

(जिला एवं सेशन न्यायालय), जोधपुर जिला

(फोन: 0291-2544631 व फैक्स: 0291-2545850, ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांक:— जि.वि.से.प्रा.जो.जि. / पी.एल.वी. / विज्ञप्ति / 2019 / ०१

दिनांक :— ०५/१०/१९

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ20/रालसा/डीएस-प्रथम / 26081-26111 दिनांक 13.09.2019 के निर्देशनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अधीनस्थ तालुकाओं में स्थित निम्नलिखित पंचायत समितियों पर जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु निम्नानुसार पी.एल.वी. (पेरा लीगल वॉलिटियर्स) के रूप में बाद प्रशिक्षण चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :—

पंचायत समिति का नाम	पीएलवी की संख्या
1. पंचायत समिति, लोहावट	03
2. पंचायत समिति, बाप	03
3. पंचायत समिति, भोपालगढ़	04
4. पंचायत समिति, बावड़ी	04
5. पंचायत समिति, शेरगढ़	02
6. पंचायत समिति, देवु	04
7. पंचायत समिति, सेखाला	04
8. पंचायत समिति, औसियां	04
9. पंचायत समिति, बापिणी	04
कुल	32

- शैक्षणिक योग्यता:** आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र:** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षा:** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला का प्रतीक चिन्ह होगा।
- चरित्र:** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छ: माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- शारीरिक योग्यता:** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए तथा आवेदक पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए व राजनितिक परिपेक्ष से नहीं होना चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:**
 - जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छ: माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 - आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें)।
 - जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन किया जा रहा है, तो उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गौव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - किसी प्रकार का कोई मुकदमा लम्बित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र।
 - यदि आवेदक सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक/एम.एस.डब्ल्यू. छात्र/छात्राएं व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/डॉक्टर/फिजिशियन/छात्र/छात्राएं व विधि छात्र/छात्राएं(जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हों)/गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला गुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह/शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो तो संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
 - आवेदन की अंतिम तिथि:** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी, पीपाड़ शहर, बालेसर व औसियां के कार्यालय में दिनांक 15.10.2019 को सांय 05.00 बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियों अथवा आवश्यक



प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8. पात्रता:

पी.एल.वी. का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक आवेदकों के संबंध में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने के साथ-साथ स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत अलग-अलग गाँव के निवासी होने की शर्त की पालना करने वाले आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पड़ौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अवलोकन पश्चात् किया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. हेतु आवेदन कर सकते हैं :—

- सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक,
- एम.एस.डब्ल्यू. छात्र/छात्राएं व अध्यापक,
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
- डॉक्टर
- फिजिशियन,
- छात्र/छात्राएं व विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हों),
- गैर राजनीतिक दलों के सदस्य,
- सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह,
- शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो।

9. चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी):

- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- आम नागरिकों के विवादों को तालुका विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित मौखिक रूप से अवगत करवाना।
- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल/कारागृह, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, आदि के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- पी.एल.वी. द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड गैस संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
- विहित प्रपत्र में पी.एल.वी. प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यों का विवरण जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान को देंगे।
- पंचायत समिति पर स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले पी.एल.वी. को समय समय पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण को ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- पी.एल.वी. विधिक सेवा क्लिनिक पर उपलब्ध रजिस्टर व विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर स्वयं द्वारा प्रमाणित करेंगे। माह की समाप्ति के उपरान्त रिपोर्ट संबंधित माह के रजिस्टर व विहित डायरी में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणित छायाप्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के कार्यालय में प्रेषित करेगा।



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला (जिला एवं सैशन न्यायालय), जोधपुर जिला

(फोन: 0291-2544631 व फैक्स: 0291-2545850, ई-मेल आई.डी. dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

- पी.एल.वी. द्वारा पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार से संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराय गये मेटीरियल का प्रचार व प्रसार करना।
 - पी.एल.वी. द्वारा विधिक सेवा केन्द्रों की गतिविधियों के संचालन के संबंध नालसा (लीगल एड विलनिक्स) स्कीम 2010 व रेगुलेशन 2011 लागू होंगे।
10. **साक्षात्कार:** जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. के साक्षात्कार की तिथि व स्थान की सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित की जायेगी तथा यह सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित तालुका विधिक सेवा समिति फलौदी, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बालेसर एवं औसियां के कार्यालय एवं इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ-साथ जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/jodhpur> पर भी उपलब्ध करवायी जायेगी।
11. **स्पष्टीकरण:** यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक पंचायत समिति का नाम अंकित करना आवश्यक है। आवेदक कहां पर अर्थात् किस पंचायत समिति में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर आवेदक के आवेदन पर विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त चयनित पी.एल.वी. को माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।
- नोट:-**
01. आवेदन का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला, तालुका विधिक सेवा समिति-फलौदी, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बालेसर एवं औसियां कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/jodhpur> से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
 02. आवेदनकर्ता संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति-फलौदी, पीपाड़ शहर, बालेसर एवं औसियां के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

*M. D. P. 119
5.10.19*

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

(जिला एवं सेशन न्यायालय), जोधपुर जिला

{फोन: 0291-2544631 व फैक्स : 0291-2545850, ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com}

पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स(पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी का
हस्ताक्षरयुक्त
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. विवाहित/अविवाहित :
(विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नि का नाम लिखें)
4. जाति :
5. संवर्ग—सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति / :
अन्य पिछड़ा वर्ग(जिस संवर्ग से संबंधित हो वह लिखें)
6. स्थाई पता मय दूरभाष/मोबाईल नम्बर :
/ई-मेल आई.डी.
7. वर्तमान पता :
8. स्थानीय पंचायत समिति का नाम :
9. पड़ोस की पंचायत समिति का नाम :
10. आवेदक पी.एल.वी. के रूप में जिस रथान
/क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता
है उस पंचायत समिति का नाम :
11. निकटतम पुलिस स्टेशन :
12. जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
वर्तमान आयु (दिनांक 01.10.2019 को) :
13. शैक्षणिक योग्यता :
14. यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है,
तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए :
15. आवेदक के विरुद्ध कोई भी प्रकरण लंबित है
अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण :

“Help The Needy- Timely Help May Create History”



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

(जिला एवं सेशन न्यायालय), जोधपुर जिला

(फोन: 0291-2544631 व फैक्स: 0291-2545850, ई-मेल आई.डी.: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

16. यदि पूर्व में सामूदायिक कार्यकर्ता(Community Worker)के रूप में कार्य किया गया हो तो
उसका संक्षिप्त विवरण(हॉ / नहीं) :

17. कम्प्यूटर ज्ञान (हॉ / नहीं) :

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी सत्यापित करता/करती हूँ कि
आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं
पंचायत समिति में स्थित पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक
हूँ।

दिनांक :-

(आवेदक के हस्ताक्षर)



कायांलय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला
(जिला एवं सैशन न्यायालय), जोधपुर जिला

फोन: 0291-2544631 व फैक्स: 0291-2545850, ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com

क्रमांक :- 3229 - 3288

दिनांक :- 05/10/19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर / जोधपुर जिला
3. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी / बिलाड़ा / पीपाड़ शहर / बालेसर / ओसियां
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर
6. श्रीमान् पुलिस कमिशनर, जोधपुर
7. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्व / पश्चिम), जोधपुर
8. श्रीमान् जेल अधीक्षक, जोधपुर
9. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर
10. श्रीमान् उपसचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर
12. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स / लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर
13. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
14. श्रीमान् समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला
15. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
16. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
18. श्रीमान् अधीक्षक, मथुरादास माथुर अस्पताल / महात्मा गांधी अस्पताल / उम्मेद अस्पताल, जोधपुर
19. श्रीमान् रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
20. श्रीमान् रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
21. श्रीमान् विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
22. श्रीमान् प्राचार्य, महिला विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
23. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय), जोधपुर
24. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक (प्रथम / द्वितीय), जोधपुर
25. श्रीमान् समस्त तहसीलदार, जोधपुर जिला
26. श्रीमान् विकास अधिकारी, फलौदी / लोहावट / बाप / बिलाड़ा / पीपाड़ शहर / भोपालगढ़ / बावड़ी / बालेसर / शेरगढ़ / देचु / सेखाला / औसियां / बापिणी
27. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
28. प्रभारी अधिकारी / कारापाल, उप-कारागृह, फलौदी / पिचियाक
29. उप-निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर
30. उप-निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर
31. अध्यक्ष महावीर इन्टरनेशनल / रोटरी क्लब / लॉयन्स क्लब / नवजीवन संस्थान, जोधपुर
32. अध्यक्ष, पेंशनर हितकारी न्यास, जोधपुर
33. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला (विज्ञप्ति मय प्रारूप न्यायालय की रजिस्टर्ड वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/jodhpur> पर अपलोड करने वालत्)

M. N. W/114
10.10.19
अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला

“Help The Needy- Timely Help May Create History”